पत्रांकः 612/33–3–2013–59/2013

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र , कासगंज एवं उन्नाव।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलायोजना समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बी0आर0जी0एफ0 के पत्र सं0 754/33–पी0एम0यू0/2010 दिनांक 14 जनवरी, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 26.09.2009 में लिए गये निर्णय के क्रम में परियोजना प्रबन्ध इकाई को भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त धनराशि प्राप्त होने पर परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु अधिकृत करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं।

1. उक्त के क्रम में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 24.12.2012 में लिए गये निर्णय के परिपालन में यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना से सम्बन्धित परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु जिलायोजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत, राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर दिया जाए।

2. अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 के स्तर से परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत किए जाने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में उल्लिखित परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

3. कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2012–13 एवं उससे पूर्व के वर्षों की समस्त अवशेष धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र तत्काल भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार से वर्ष 2012–13 हेतु अनुमन्य समस्त धनराशि प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 612 /33–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव वित्त/नियोजन/नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिचांई उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(ताहिर इकबाल)
विशेष सचिव।